राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1322/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, वृत–द्वितीय,
राजस्थान, जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बालाजी एन्टरप्राईजेज,
गोपाल बाडी, अजमेर रोड, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) की अपील संख्या 194/आरएसटी/1999–00/जी/2004–05 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.1999 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अंतर्गत तहत् शास्ति रू. 21,923/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.1999 वाहन संख्या आर.जे.–07/जी0553 को अजमेर रोड, जयपुर पर चैक किया गया। वाहन में लदे माल प्लास्टिक फर्नीचर के संबंध में वाहन चालक ने मैसर्स चौधरी गुड्स कैरियर्स, वापी की बिल्टी नम्बर 3687 एवं 3866 दिनांक 18.03.1999 एवं उनके साथ संलग्न बिल तथा "एसटी18ए" नम्बर 18182/25 वास्ते जॉच हेतु पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच करने पर पाया कि बिल्टी संख्या 3867 के साथ बिल में "Not for sale" अंकित है व बिल नम्बर 7086 एवं उक्त बिल्टी नम्बर 3867 को वाहन चालक ने रतनपुर (बॉर्डर) बिल संग्रहण केन्द्र पर प्रस्तुत नहीं किया, जबकि दूसरी बिल्टी नम्बर 3866 पर वहॉ की मोहर लगी हुई थी व दोनों प्रतियॉ वाहन चालक के पास थी। इस प्रकार वाहन चालक द्वारा एक वाहन में लदे आधे माल के दस्तावेज रतनपुर क्लेक्शन सेन्टर पर प्रस्तुत किये गये व आधा माल प्लास्टिक का सामान कीमतन् रूपये 73,075/– के माल के दस्तावेज रतनपुर क्लेक्शन सेन्टर पर प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त उक्त माल कर योग्य था जबकि उस पर "Not for sale" लिखा होना पाया गया। इस प्रकार रूपये 73,075/– का माल करापवंचन की मनोदशा से परिवहनित किये जाने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 21,923/– आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.09.2007 द्वारा प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति रूपये 21,923/– को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि वाहन चालक के पास बिल्टी संख्या 3867 एवं इसके साथ बिल की दोनों प्रतियॉ वाहन चालक के पास थी, इससे प्रत्यर्थी के करापवंचन की मंशा साफ जाहिर होती है। इस प्रकार उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि बिल्टी संख्या 3867 के द्वारा परिवहनित माल बिक्री हेतु नहीं होकर ग्राहकों को "Complimentry" दिये जाने हेतु भेजा जा रहा था व बिल पर स्पष्ट रूप से "Not for sale" लिखा हुआ था। बिल पर प्रेषक व प्रेषिति दोनों का पूर्ण विवरण व पंजीयन प्रमाण संख्या अंकित थी व एक्साईज ड्यूटी वसूल की हुई थी। वाहन चालक द्वारा उक्त बिल्टी व बिल चैक पोस्ट रतनपुर पर प्रस्तुत की गई थी, किन्तु चैक पोस्ट प्रभारी द्वारा उस पर मोहर अंकित नहीं की जाकर वापिस लौटा दी गई। उनके द्वारा केवल बिल्टी संख्या 3866 पर ही मोहर अंकित की गई। चूँकि प्रेषक व प्रेषिति पंजीकृत थे व उपर्युक्त बिल बिल्टी से माल का परिवहन किया जा रहा था तथा परिवहनित माल "Not for sale" था अतः करापवंचन की कोई मनोदशा नहीं थी।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवहनित माल बिक्री हेतु नहीं होकर "Complimentry" दिये जाने हेतु भेजा जा रहा था व बिल पर स्पष्ट रूप से "Not for sale" अंकित था। केवल मात्र उक्त बिल व बिल्टी पर चैक पोस्ट की मोहर अंकित नहीं होने के कारण करापवंचन की मनोदशा प्रमाणित नहीं होती। सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण से पूर्व दस्तावेजों की सत्यता की कोई जांच नहीं की गई। इस प्रकार करापवंचन की मनोदशा भी प्रमाणित नहीं की गई।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 20.09.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष